

28⁰⁶/₂₂ पत्रावली पेश हुई, कोई उपनवीन

वाद का मूल वाद अदम क्षत्री कदा
पैरकी में श्वारिज किया जा चुका है
इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाने
का कोई औचित्य नहीं है मतः

पत्रावली अदम क्षत्री कदा पैरकी में
श्वारिज की जाती है पत्रावली प्रसल
शुमार होकर नमबर से कम है।

वाद पूर्ति कारखिले दफ्तर है। मूल
वाद के साथ संलग्न रहे।

सहायक कलेक्टर
बहरो (जिला प्रशासन)